



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

(CIN : U74899DL1963GOI003913)

वेबसाइट: www.indiaseeds.com

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

जिला: अनूपगढ़, राजस्थान-335702

ईमेल- csf.jetsar@indiaseeds.com

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963GOI003913)

Website: www.indiaseeds.com

CENTRAL STATE FARM, JETSAR

Distt: Anupgarh, Rajasthan-335702

E-mail- csf.jetsar@indiaseeds.com

पत्रांक: के.रा.फा./जैत./ उद्यान /13-04/2024-25/

दिनांक: 20.07.2024

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला अनूपगढ़ (राजस्थान) में स्थित उद्यान/EPO में लगी पौधशाला वर्ष 2024-25 में विभिन्न प्रजातियों के कुल 108500 पौधों को उद्यानकी नर्सरी में तैयार करना एवं बाग में पहले से लगे किन्नों, मौसमी, बेलपत्र व खजूर के पौधों की गैप फिलिंग करना तथा बेल पत्र व खजूर का नया बाग लगाने का कार्य निर्धारित नियम व शर्तानुसार ठेके पर तैयार करवाने हेतु निविदा दिनांक:29/07/2024 को दोपहर 02.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन दोपहर 03.00 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र का विक्रय दिनांक 22.07.2024 से 29.07.2024 दोपहर 02:15 तक किया जाएगा। निविदा में भाग लेने के लिए रुपये 20,000/- (रु बीस हजार मात्र) फार्म के बैंक खाते में ऑनलाईन जमा करवाकर अथवा बैंक डिमान्ड-ड्राफ्ट जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251 खाता संख्या: 4153 2435 884) पर देय हो, धरोहर राशि के रूप में निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा। जिसे कार्य के संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर, बिना ब्याज के लौटा दिया जायेगा तथा असफल निविदादाता की राशि उनके खाते में ट्रान्सफर कर दी जायेगी। निविदा संबंधी जानकारी तथा नियम एवम् शर्तें किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ली जा सकती है व निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती है। निविदा में भाग लेने के लिए निविदा प्रपत्र कृषि कार्यालय से प्राप्त करने के लिए रुपये 236 (200 Tander fee +18 % GST) का डिमान्ड-ड्राफ्ट, RTGS/NEFT के माध्यम से फार्म के बैंक खाते में जमा की रसीद प्रस्तुत करना होगा। निविदा के साथ पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक की कॉपी की फोटो कॉपी प्रस्तुत करनी होगी।

प्रभारी उत्पादन
कृते फार्म प्रमुख



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

(CIN : U74899DL1963GOI003913)

वेबसाइट: www.indiaseeds.com

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

जिला: अनूपगढ़, राजस्थान-335702

ईमेल- csf.jetsar@indiaseeds.com

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963GOI003913)

Website: www.indiaseeds.com

CENTRAL STATE FARM, JETSAR

Distt: Anupgarh, Rajasthan-335702

E-mail- csf.jetsar@indiaseeds.com

पत्रांक: के.रा.फा./जैत./ उद्यान / 13-04 / 2024-25 /

दिनांक: 20.07.2024

निविदा प्रपत्र

अ) नर्सरी में तैयार किये जाने वाले पौधों का विवरण:-

क्र.सं.	पौधे का नाम	किस्म	तैयार किये जाने वाले पौधों की संख्या	कार्य का विवरण	दर प्रति पौधा (रु.)
A. फलदार पौधे					
1	अनार (Pomegranate)	Mridula	1000	फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गये पोलिथीन बैग में मिट्टी खाद, रसायन मिश्रण इत्यादि भरकर पोलिथीन बैग तैयार करना/खाद, रसायन मिश्रण इत्यादि को मिट्टी में मिलाकर क्यारी तैयार करना एवं उक्त तैयार पोलिथीन बैग में/क्यारी में फार्म क्षेत्र में उपलब्ध पौधों के मातृकि पौधों से कटिंग एकत्रित कर कटिंग को लगाना/फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गए कटिंग को लगाना, आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करना, सिंचाई के लिए पानी लगाना, 9 इंच से 1 फीट की ऊंचाई तक का पौधा तैयार करके देना। दर प्रति पौधा।	
2	बेल पत्र (Beal)	CISHB-1/NB-5	2000	फार्म क्षेत्र में उपलब्ध उक्त किस्म के मातृकि पौधों से बड लेना एवं उक्त बड को फार्म क्षेत्र में उपलब्ध उक्त फलदार पौधे के मूलवृन्त पर बडिंग करना, डिसबडिंग करना, आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करना, सिंचाई के लिए पानी लगाना, 9 इंच से 1 फीट की ऊंचाई तक का पौधा तैयार करके देना। दर प्रति पौधा।	
				फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गये पोलिथीन बैग में मिट्टी खाद, रसायन मिश्रण इत्यादि भरकर पोलिथीन बैग तैयार करना तैयार किये गये पोलिथीन बैग में फार्म क्षेत्र में उपलब्ध उक्त फलदार पौधों के फलों से बीज एकत्रित कर बीजों को लगाना/फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गए बीजों को लगाना, आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करना, सिंचाई के लिए पानी लगाना, 9 इंच से 1 फीट की ऊंचाई तक का पौधा अथवा बडिंग करने योग्य पौधा तैयार होने पर फार्म क्षेत्र में उपलब्ध उक्त किस्म के मातृकि पौधों से बड लेना एवं उक्त तैयार मूलवृन्त पर बडिंग करना, डिसबडिंग करना, आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करना, सिंचाई के लिए पानी लगाना, 9 इंच से 1 फीट की ऊंचाई तक का पौधा तैयार करके देना। दर प्रति पौधा।	

3	आंवला (Anola)	BANARASI CHAKIYA	2000	फार्म क्षेत्र में उपलब्ध उक्त किस्म के मातृकि पौधों से बड़ लेना एवं उक्त बड़ को फार्म क्षेत्र में उपलब्ध उक्त फलदार पौधे के मूलवृन्त पर बडिंग करना, डिसबडिंग करना, आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करना, सिंचाई के लिए पानी लगाना, 9 इंच से 1 फीट की ऊंचाई तक का पौधा तैयार करके देना। दर प्रति पौधा।	
				फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गये पोलीथीन बैग में मिट्टी खाद, रसायन मिश्रण इत्यादि भरकर पोलीथीन बैग तैयार करना तैयार किये गये पोलीथीन बैग में फार्म क्षेत्र में उपलब्ध उक्त फलदार पौधों के फलों से बीज एकत्रित कर बीजों को लगाना/फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गए बीजों को लगाना, आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करना, सिंचाई के लिए पानी लगाना, 9 इंच से 1 फीट की ऊंचाई तक का पौधा अथवा बडिंग करने योग्य पौधा तैयार होने पर फार्म क्षेत्र में उपलब्ध उक्त किस्म के मातृकि पौधों से बड़ लेना एवं उक्त तैयार मूलवृन्त पर बडिंग करना, डिसबडिंग करना, आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करना, सिंचाई के लिए पानी लगाना, 9 इंच से 1 फीट की ऊंचाई तक का पौधा तैयार करके देना। दर प्रति पौधा।	
4	जामुन (JAMUN)	RAM JAMUN-TYPE	1000	फार्म क्षेत्र में उपलब्ध उक्त किस्म के मातृकि पौधों से बड़ लेना एवं उक्त बड़ को फार्म क्षेत्र में उपलब्ध उक्त फलदार पौधे के मूलवृन्त पर बडिंग करना, डिसबडिंग करना, आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करना, सिंचाई के लिए पानी लगाना, 9 इंच से 1 फीट की ऊंचाई तक का पौधा तैयार करके देना। दर प्रति पौधा।	
				फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गये पोलीथीन बैग में मिट्टी खाद, रसायन मिश्रण इत्यादि भरकर पोलीथीन बैग तैयार करना तैयार किये गये पोलीथीन बैग में फार्म क्षेत्र में उपलब्ध उक्त फलदार पौधों के फलों से बीज एकत्रित कर बीजों को लगाना/फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गए बीजों को लगाना, आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करना, सिंचाई के लिए पानी लगाना, 9 इंच से 1 फीट की ऊंचाई तक का पौधा अथवा बडिंग करने योग्य पौधा तैयार होने पर फार्म क्षेत्र में उपलब्ध उक्त किस्म के मातृकि पौधों से बड़ लेना एवं उक्त तैयार मूलवृन्त पर बडिंग करना, डिसबडिंग करना, आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करना, सिंचाई के लिए पानी लगाना, 9 इंच से 1 फीट की ऊंचाई तक का पौधा तैयार करके देना। दर प्रति पौधा।	
5	शहतूत (MULBERRY)	FARM SELECTION	2000	फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गये पोलीथीन बैग में मिट्टी खाद, रसायन मिश्रण इत्यादि भरकर पोलीथीन बैग तैयार करना/खाद, रसायन मिश्रण इत्यादि को मिट्टी में मिलाकर क्यारी तैयार करना एवं उक्त तैयार पोलीथीन बैग में/क्यारी में फार्म क्षेत्र में उपलब्ध पौधों के मातृकि पौधों से कटिंग एकत्रित कर कटिंग को लगाना/फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गए कटिंग को लगाना, आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करना, सिंचाई के लिए पानी लगाना, 9 इंच से 1 फीट की ऊंचाई तक का पौधा तैयार करके देना। दर प्रति पौधा।	
6	खजूर (DATE PALM)	SAMRAN	2000	खाद, रसायन मिश्रण इत्यादि को मिट्टी में मिलाकर क्यारी तैयार करना फार्म क्षेत्र में उपलब्ध सम्बंधित किस्म के पौधों से सकर्स अलग करना एवं उक्त तैयार क्यारी में लगाना, आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करना, सिंचाई के लिए पानी लगाना एवं एक साल तक पौधों की देखभाल करने के उपरांत जीवित पौधों की दर प्रति पौधा।	
		KHUDRAWY	2000		
		ZAHIDI	2000	खाद, रसायन मिश्रण इत्यादि को मिट्टी में मिलाकर क्यारी तैयार करना फार्म द्वारा उपलब्ध सम्बंधित किस्म के पौधों के सकर्स को उक्त तैयार क्यारी में लगाना, आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करना, सिंचाई के लिए पानी लगाना एवं एक साल तक पौधों की देखभाल करने के उपरांत जीवित पौधों की दर प्रति पौधा।	
		HALAWY	3000		
		MEDJOOOL	2000		
		MALE	2000		
7	अन्य (Others)		2000	फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गये पोलीथीन बैग में मिट्टी खाद, रसायन मिश्रण इत्यादि भरकर पोलीथीन बैग तैयार करना/खाद, रसायन मिश्रण इत्यादि को मिट्टी में मिलाकर क्यारी तैयार करना एवं उक्त तैयार पोलीथीन बैग में/क्यारी में फार्म क्षेत्र में उपलब्ध पौधों के मातृकि पौधों से बीज/कटिंग एकत्रित कर बीजों/कटिंग को लगाना/फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गए बीजों/कटिंग को लगाना, आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करना, सिंचाई के लिए पानी लगाना, 9 इंच से 1 फीट की ऊंचाई तक का पौधा तैयार करके देना। दर प्रति पौधा।	
कुल A. फलदार पौधे			23000		

B. वानिकी पौधे

[illegible]

16	मेहंदी (MEHNDI)		5000	फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गये पोलीथीन बैग में मिट्टी खाद, रसायन मिश्रण इत्यादि भरकर पोलीथीन बैग तैयार करना/खाद, रसायन मिश्रण इत्यादि को मिट्टी में मिलाकर क्यारी तैयार करना एवं उक्त तैयार पोलीथीन बैग में/क्यारी में फार्म क्षेत्र में उपलब्ध पौधों के मातृकि पौधों से कटिंग एकत्रित कर कटिंग को लगाना/फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गए कटिंग को लगाना, आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करना, सिंचाई के लिए पानी लगाना, 9 इंच से 1 फीट की ऊंचाई तक का पौधा तैयार करके देना। दर प्रति पौधा।	
17	ट्यूबरोज (TUBEROSE)		1000	फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गये पोलीथीन बैग में मिट्टी खाद, रसायन मिश्रण इत्यादि भरकर पोलीथीन बैग तैयार करना/खाद, रसायन मिश्रण इत्यादि को मिट्टी में मिलाकर क्यारी तैयार करना एवं उक्त तैयार पोलीथीन बैग में/क्यारी में फार्म क्षेत्र में उपलब्ध पौधों के मातृकि पौधों से बल्ब एकत्रित कर बल्ब को लगाना/फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गए बल्ब को लगाना, आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करना, सिंचाई के लिए पानी लगाना, 9 इंच से 1 फीट की ऊंचाई तक का पौधा तैयार करके देना। दर प्रति पौधा।	
18	चम्पा (CHAMPA)	White	800	फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गये पोलीथीन बैग में मिट्टी खाद, रसायन मिश्रण इत्यादि भरकर पोलीथीन बैग तैयार करना/खाद, रसायन मिश्रण इत्यादि को मिट्टी में मिलाकर क्यारी तैयार करना एवं उक्त तैयार पोलीथीन बैग में/क्यारी में फार्म क्षेत्र में उपलब्ध पौधों के मातृकि पौधों से कटिंग एकत्रित कर कटिंग को लगाना/फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गए कटिंग को लगाना, आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करना, सिंचाई के लिए पानी लगाना, 9 इंच से 1 फीट की ऊंचाई तक का पौधा तैयार करके देना। दर प्रति पौधा।	
		Red	200		
19	अन्य (Others)	Seedling/Cuttings	2000	फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गये पोलीथीन बैग में मिट्टी खाद, रसायन मिश्रण इत्यादि भरकर पोलीथीन बैग तैयार करना/खाद, रसायन मिश्रण इत्यादि को मिट्टी में मिलाकर क्यारी तैयार करना एवं उक्त तैयार पोलीथीन बैग में/क्यारी में फार्म क्षेत्र में उपलब्ध पौधों के मातृकि पौधों से बीज/कटिंग एकत्रित कर बीजों/कटिंग को लगाना/फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गए बीजों/कटिंग को लगाना, आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करना, सिंचाई के लिए पानी लगाना, 9 इंच से 1 फीट की ऊंचाई तक का पौधा तैयार करके देना। दर प्रति पौधा।	
कुल C. सजावटी पौधे			32000		
GRAND TOTAL			108500		

ब)

नया बाग लगाने व गैप फिलिंग किये जाने वाले पौधों का विवरण:-				
क्र.सं.	पौधे का नाम	पौधों की सं.(लग में)	कार्य विवरण	दर प्रति पौधा (रुपये में)
	किन्नो	897	बाग में पौधे लगाने वाले स्थान पर घास कचरा हटाकर गद्दा खोदकर खाद रसायन आदि मिलाकर पौधे लगाने हेतु गद्दा तैयार करना, उक्त तैयार किये गये गद्दों में फार्म नर्सरी में उपलब्ध पौधों को पिण्डी सहित उखाड़कर लगाना, डिसबडिंग करना, आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई व कटाई-छटाई करना, सिंचाई हेतु पानी लगाना एवं एक साल तक पौधों की देखभाल करने के उपरांत जीवित पौधों की दर प्रति पौधा	
	मौसमी	196		
	अमरुद	377		
	बेल पत्र (गैप फिलिंग)	131		
	बेल पत्र (नया बाग)	2800		
	कुल	4401		

नया बाग लगाने व गैप फिलिंग किये जाने वाले पौधों का विवरण:-				
क्र.सं.	पौधे का नाम	पौधों की सं.(नग में)	कार्य विवरण (अ)	कार्य विवरण (ब)
1	खजूर (गैप फिलिंग)	750	बाग में पौधे लगाने वाले स्थान पर घास कचरा हटाकर गद्दा खोदकर खाद रसायन आदि मिलाकर पौधे लगाने हेतु गद्दा तैयार करना, फार्म क्षेत्र में उपलब्ध सम्बंधित किस्म के पौधों से सर्कस अलग करना एवं उक्त सर्कस को तैयार गद्दों में लगाना, आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई व कटाई-छटाई करना, सिचाई हेतु पानी लगाना एवं एक साल तक पौधों की देखभाल करने के उपरांत जीवित पौधों की दर प्रति पौधा	बाग में पौधे लगाने वाले स्थान पर घास कचरा हटाकर गद्दा खोदकर खाद रसायन आदि मिलाकर पौधे लगाने हेतु गद्दा तैयार करना, फार्म द्वारा उपलब्ध सम्बंधित किस्म के पौधों के सर्कस को तैयार गद्दों में लगाना, आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई व कटाई-छटाई करना, सिचाई हेतु पानी लगाना एवं एक साल तक पौधों की देखभाल करने के उपरांत जीवित पौधों की दर प्रति पौधा
	खजूर	800		
	कुल	1550		
		दर प्रति पौधा (रुपये में)		

नोट:- तैयार करने वाले पौधों की संख्या घटायी या बढ़ाई जा सकती है।

दिनांक:-

हस्ताक्षर निविदा दाता.....

नाम व पूरा पता

.....

.....

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर

नियम व शर्तें

1. वर्ष 2024-25 में विभिन्न प्रजातियों के कुल 108500 पौधों को उद्यानकी नर्सरी में तैयार करना एवं फार्म उद्यान में पहले से लगे किन्नों, मौसमी, बेलपत्र व खजूर के बाग में पौधों की गैप फिलिंग करना एवं बेल पत्र एवं खजूर का नया बाग लगाने का कार्य करना होगा।
2. विभिन्न प्रजातियों जिनका विवरण एवं प्रवर्धन कार्य का विवरण निविदा प्रपत्र में दिया हुआ के अनुसार कुल 108500 पौधों को फार्म नर्सरी में तैयार करना होगा।
3. फार्म उद्यान में पहले से लगे किन्नों, मौसमी, बेलपत्र व खजूर के बाग में पौधों की गैप फिलिंग करना एवं बेल पत्र एवं खजूर का नया बाग लगाने का कार्य निविदा प्रपत्र में दिए गये कार्य के विवरण के अनुसार करना होगा जिसमें पौधे लगाने हेतु खोदे जाने वाले गड्ढे का आकार आवश्यकतानुसार 1×1×1 मीटर रखना होगा।
4. निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ स्वयं के आधार कार्ड, पेन कार्ड व बैंक खाता की सुचना की प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।
5. प्रस्तावित पौधों को तैयार करने हेतु फार्म द्वारा निर्मित पौधशाला व बाग में सिंचाई के लिए आवश्यक पानी (उपलब्धता के आधार पर) की व्यवस्था आदि फार्म द्वारा करायी जायेगी।
6. पौधे तैयार करने हेतु आवश्यक साधन सामग्री जैसे पॉलीथिन बैग, पॉलीथिन सीट, खाद, बीज, कीटनाशक आदि फार्म द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. तैयार किये जाने वाले सभी पौधों की सफलता दर कम से कम 50 प्रतिशत होनी चाहिए।
8. बिक्री योग्य तैयार पौधों की गिनती कम से कम 9 इंच से 12 इंच के आकार पर की जायेगी। जिसमें केवल मुख्य तना को ही माप में लिया जावेगा पत्तियों को माप में नहीं लिया जावेगा। केवल जीवित पौधे, जो कि उद्यान प्रभारी के निर्देशानुसार आगे बढ़वार करने वाले पूर्णतः स्वस्थ हों उन्हीं जीवित पौधों की गिनती की जाएगी।
9. खजूर एवं उद्यानिकी पौधों की देखभाल का कार्य निविदा प्रपत्र में दिए गये कार्य के विवरण के अनुसार निविदादाता को पौधे लगाने के दिनांक से 1 वर्ष तक करना होगा एक वर्ष के उपरांत केवल जीवित पौधे, जो कि उद्यान प्रभारी के निर्देशानुसार आगे बढ़वार करने वाले पूर्णतः स्वस्थ हों उन्हीं जीवित पौधों की गिनती की जाएगी।
10. आवश्यकतानुसार नर्सरी व बाग में किये जाने वाले सभी कार्य जैसे निराई, गुड़ाई (कम से कम आठ बार करेगा) सिंचाई स्प्रै आदि समय-समय पर ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
11. किसी प्राकृतिक नुकसान के लिए ठेकेदार खुद जिम्मेवार होगा। फार्म उन्हीं पौधों का भुगतान करेगा, जो अंतिम गिनती के समय भौतिक रूप से नियम व शर्त संख्या 8 व 9 के अनुसार उपलब्ध होंगे।
12. उक्त पौधे तैयार करने के लिए खेत में पौधे लगाने की अवधि कार्य आदेश जारी होने के दिनांक से 31/03/2025 तक होगी। पौधे लगाने के उपरांत गिनती करने का कार्य माह दिसम्बर 2024 में अथवा नियम व शर्त सं. 8 के अनुसार बिक्री योग्य पौधों होने पर (कम से कम 9 इंच से 12 इंच के आकार पर) की जायेगी। खजूर एवं उद्यानिकी पौधों की गिनती नियम व शर्त सं 9 के अनुसार होगी। यद्यपि अवधि बढ़ाने हेतु सामान्य परिस्थितियों में कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जावेगा। परन्तु ठेकेदार द्वारा कोई विशेष कारण बताया जाने पर फार्म प्रमुख की अनुमति से समयावधि को बढ़ाया जा सकेगा।
13. यदि प्राकृतिक प्रकोप से कोई नुकसान होता है तो इसके लिए फार्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
14. यदि ठेकेदार की लापरवाही के कारण (समय से पौधों की देखभाल करना, पानी लगाना खाद रसायन समय से देना, निराई-गुड़ाई, बडिंग, डिसबडिंग, आदि अन्य सम्बन्धित कार्य समय पर नहीं करने पर) नर्सरी व बाग में लगाये जाने पौधों को नुकसान होता है तो उक्त नुकसान का आंकलन कर, भरपाई निविदादाता के बिलों से/जमा धरोहर राशि से कर ली जाएगी।
15. ठेकेदार को निविदा देते समय रु0 20,000/- धरोहर राशि फार्म खाते में ऑनलाईन जमाकर अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर

SBIN0008251 खाता संख्या: 4153 2435 884) पर देय हो, जमा/संलग्न करना होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल निविदा दाता की धरोहर राशि बोली समाप्त होने के बाद उनके खाते में ट्रान्सफर कर दी जायेगी।

16. कार्य आदेश मिलने के 7 दिन के अन्दर पांच सौ रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
17. तैयार करने वाले पौधों की संख्या घटायी या बढ़ाई जा सकती है जिसके बारे में समय से सूचित कर दिया जायेगा।
18. फार्म प्रमुख, केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कारण बताये निविदा को स्वीकृत या निरस्त कर सकते हैं।
19. ठेकेदार फार्म क्षेत्र में पशु नहीं रखेगा। यदि ठेकेदार या उसके श्रमिकों द्वारा फार्म की चल व अचल सभी प्रकार की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार को ही करनी होगी।
20. ठेकेदार को उसके द्वारा लगाये जाने वाले पौधों (नर्सरी व बाग दोनों में)की सुरक्षा की जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार को ही करनी होगी।
21. यदि ठेकेदार कार्य अधूरा छोड़कर जाता है तो यह कार्य अन्य किसी से करवा लिया जायेगा। इस कार्य को करवाने में अगर फार्म को कोई हानि होती है तो इसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी। साथ ही धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी व किये गये कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।
22. यदि किसी भी प्रकार का टैक्स लगता है तो वह ठेकेदार वहन करेगा।
23. आर्बिट्रेशन:- यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और निविदादाता के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इसे आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जाने से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा। (ARBITRATION- In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion. Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of law. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.)

उपरोक्त नियम व शर्तों को मेरे द्वारा सुन लिया है, समझ लिया है व पढ़ लिया गया है जो मुझे पूर्णतयः स्वीकार है।

हस्ताक्षर ठेकेदार